"That leave be granted to introduce a Bill to regulate the employment of junior artistes in the film industry."

The motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Insertion of new article 15A)

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill futher to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI GEROGE FERNANDES : Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new Part XIA)

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is ;

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU : Sir, I introduce the Bill.

15.34 hours

HIGH COURT AT ALLAHABAD(ESTABILSHMENT OF A PERMANENT BENCH AT BAREILLY) BILL - *Contd*

MR. DEPUTY- SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Harish Rawat on 10th August, 1984, namely:—

"That the Bill to provide for the establishment of a Permanent Bench of the High Court at Allahabad at Bareilly, be taken into consideration."

Mr. Harish Rawat may continue his speech.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं पिछली बार यह निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की विशालता को देखते हुए इलाहाबाद और लखनऊ की बैंच जनता की न्याय संबंधी आवश्यकता को पूरी करने और सामयिक न्याय दिलाने में असमर्थ हैं। इस कारण वहां की जनता, विशेष कर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन लोगों के लिए न्याय न केवल महंगा है बल्कि समय पर उनको न्याय नहीं मिलता। इस कारण उन क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के

* Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2 dated 24.8.1984.

मन में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है। सरकार ने जसवंत सिंह कमीशन इसके लिए नियुक्त किया है। उस कमीशन ने अभी तक मात्र कुछ औपचारिकताएं ही पूरी की हैं, इसी दौरान सरकार ने एक नोटीफिकेशन के जरिए इस आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है और समयावधि भी बढ़ा दी है। इससे उत्तर प्रदेश के लोग जो मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किसी केन्द्रीय स्थान में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना होनी चाहिए, उनमें बड़ा फ्रस्टेशन है। इस परिस्थिति का कुछ राजनीतिक दल लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के विभाजन के नाम पर इस प्रश्न को उसके साथ जोड़ कर के राजनीति लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इससे पहले कि वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा हों, लोग आन्दोलन का रास्ता अख्तयार करें, परिस्थितियां बिगड़े, स्थिति खराब हो, उससे पहले ही जसवन्त सिंह आयोग को कहा जाना चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट पेश करे। जब तक उसकी रिपोर्ट पेश नहीं होती है, इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर या सरकार स्वयं यह सुनिश्चित करे कि वहां के लोगों को न्याय पाने में क्या दिक्कत पेश आ रही हैं, बरेली में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बैंच स्थापित की जाए। जिससे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रान्त में गरीब लोगों को नजदीक न्याय मिल सके और उनकी न्यायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बिल को लाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही बरेली नामक स्थान पर हाईकोर्ट की एक बैंच स्थापित की जाए, बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि जितने दूसरे बड़े-बड़े राज्य हैं, जहां लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए काफी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन सब राज्यों में भी जसवन्त सिंह आयोग की ही तरह अपना एक आयोग गठित किया जाए जो वहां के लोगों की न्यायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक आयोग स्थापित करने से ही काम नहीं चल सकता। यदि ऐसे आयोग की रिपोर्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक काल में नहीं आती है तो निश्चय ही वहां के लोगों को अगले पांच सालों तक प्रतीक्षा करनी होगी और इस दौरान उनकी कठिनाइयां और परेशानियां और बढ़ जाएंगी। एक और हमारी सरकार और हमारे दल की यह नीति भी है कि गरीब जनता को सस्ता और सुगम न्याय सुलभ हो हमारी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी जी का भी यही लक्ष्य है, उसके अनुरूप में अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी मांग को स्वीकार करते हुए, सरकार इस बिल को पास करे और चूंकि यह एक प्राइवेट बिल है, सम्भव है, उसमें बहुत सी त्रुटियां हों, उनको हमारा विधि मंत्रालय दूर करे।

चूंकि हमारे विधि और न्याय मंत्री जी इस सदन में आ गए हैं, उससे पहले वे यहां नहीं थे, मैं उनको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं...

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री जगन्नाथ कौशल : आपकी मैंने सारी स्पीच पढ़ ली है।

श्री हरीश रावत : मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस बिल की रिप्लाई करेंगे तो आपसे कुछ सकारात्मक उत्तर प्राप्त होगा ताकि उत्तर प्रदेश की जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके, उनकी इच्छा की पूर्ति हो और इन्हीं शब्दों के साथ में इस सदन के समक्ष विचार तथा पारित करने के लिए अपना विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Daga, are you moving your amendment ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : Yes,

I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by 1st November, 1984."

I want to speak also on this.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will call you later.

Now Shri Harikesh Bahadur.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री हरीश रावत जी ने जो बिल इस सदन में उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उसका कारण यह है कि ये मेरे मित्र हैं और उनके बिल का समर्थन करने से मुझे प्रसन्नता होती है परन्तु ये जिस गलत जगह पर बैठे हैं, मैं उनकी हर बात का समर्थन नहीं कर सकता। इन्होंने जो विधेयक पेश किया है, वह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आजादी मिलने के बाद, आज तक गरीबों के सामने न्याय प्राप्त करने के लिए यह समस्या उपस्थित होती रहती है और उसके समाधान के लिए आज तक कोई ठोस कदम या कारगर कदम नहीं उठाये गए। हमने अपने देश में जो न्यायिक व्यवस्था स्वीकार की है, हम देखते हैं कि लोगों को न्याय पाने के लिए बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। उसके बहुत से कारण हैं। एक कारण तो यह है कि हर जिले में न्यायपालिकाओं तक भी हमारे लोगों को पहुंचने में कठिनाई उपस्थित होती है। दूसरा कारण यह है कि—सर्वोच्च न्यायालय देश के दूसरे हिस्सों से काफी दूरी पर स्थित है, और फिर प्रत्येक राज्य में उच्च-न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थित हैं, जो कि गावों से बहुत दूर पड़ते हैं इस कारण हमारे तमाम गरीब लोग उतनी दूर तक नहीं पहुच पाते और इस कारण न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। और मजबूर होकर कभी-कभी यह महसूस करते हुए कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है वह न्याय प्राप्त करने के लिये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाते हैं। इस विधेयक का मैं समर्थन इसलिये करना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रान्त है और आबादी 11 करोड़ है, वहां का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है और खासतौर से पश्चिमी और पहाड़ी जिलों के लोगों की और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाहाबाद आने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है और काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। आने-जाने की सुविधायें नही हैं। पहाड़ी इलाके से इलाहाबाद तक पहुंचने में 3, 3 दिन लग जाते हैं। अगर कोई माना से चले जो कि तिब्बत से मिला हुआ गांव है तो एक दिन तो उसे पैदल या घोड़े पर चल कर आना पड़ता है, फिर बस से आना पड़ता है और तब कहीं जाकर उसकी ट्रेन मिलती है और अक्सर ट्रेन कनेक्शन पर नहीं मिलता है।

इस तरह पहाड़ी जिले के लोगों को इलाहाबाद पहुंचने के लिये तीन दिन लगाने पड़ते हैं। उसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को जाने में काफी परेशानी होती है। जब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है तो जिस प्रकार उसकी एक बेंच लखनऊ में है उसी प्रकार पश्चिमी जिलों में, जैसे मेरठ, बरेली या आगरा, जहां भी आप उचित समझे हाई कोर्ट की एक बेंच कायम कर सकते हैं ताकि पहाड़ी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का काम हो सके। और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच गोरखपुर में भी कायम होनी चाहिये ताकि लोगों की समस्या दूर हो।

MR. DEPUTY SPEAKER : Why don't you ask another bench of Supreme Court instead of High Court?

SHRI HARIKESH BAHADUR : We should have several Benches of Supreme Court in various States.

उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच कम से कम दो जगह पर और बनाई जाय। एक गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पहाड़ी जिलों के लिये मेरठ, बरेली या आगरा में बेंच बनाई जाय। अगर हम सचमुच रुचि रखते हैं कि गरीबों को सस्ता न्याय मिले तो उन्हें यह सुविधा देने की व्यवस्था करनी चाहिये कि वह हाई कोर्ट में नजदीक की दूरी पर जा सकें।

इसके अतिरिक्त न्यायालय के बारे में कुछ और बात कहना चाहता हूं। सस्ता न्याय दिलाने के लिये और भी-क्या कदम उठा सकते हैं इस पर भी शासन को विचार करना चाहिये। अभी जो एक आयोग बना था उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच को जगह-जगह बनाने के लिये उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश नहीं की। जिस समय यह आयोग बना था उसी समय निर्देश दिया जाना चाहिये था कि अधिक से अधिक 1 महीने के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन काफी लम्बा समय बीत गया है अभी तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। मेरे ख्याल से कम से कम 6 महीने बीत गये होंगे।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : When the equiry by the official body is going on, why have come here? After all, they are telling that there is a Commission which has been set up. Now, they are coming here again. Let the work of the Commission be over.

SHRI HARIKESH BAHADUR : In fact, I would submit that there is no need of any Commission. It should be decided by the Government. On the basis of administrative decidsion this should be done.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : After he has given his considered opinion, the Commission is not necessary at all.

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कह रहा था कि न्याय को और अधिक सस्ता बनाने के लिये सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिये और उसके लिये जरूरी है कि सरकार गरीब लोगों को न्याय प्रदान करने के लिये अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था करे। जब गरीब आदमी न्यायालय में जाता है, जिस प्रकार से वहां उसका शोषण होता है, मैं समझता हू कि उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी तो स्वयं एक वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं और न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और उन्हें दोनों प्रकार

(श्री हरिकेश बहादुर)

से मालूम है कि किस तरह से गरीब का शोषण वहां होता है। इसलिये सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिये ताकि गरीबों को सस्ता न्याय मिल सके।

जहां तक आज की न्यायपालिका का सवाल है, तरह-तरह के दोष उसमें आ गये हैं। लोग यह मससूस करते है कि उन्हें न तो न्याय जल्दी मिल पाता है, न सस्ता मिल पाता है और साथ ही कभी-कभी तो यह भी महसूस किया जाता है कि वास्तविक न्याय भी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की स्थिति जब हमारे न्यायालयों की बनती जा रही है तो इसी एक व्यापक सुधार की आवश्यकता है और उसके बारे में सरकार को अवश्य विचार करना चाहिये। तमाम तरह के सवैधानिक परिवर्तन की बात की जाती है, यहां भी संविधान में तरह-तरह के संशोधन किये जाते हैं लेकिन सभी संशोधन केवल इसीलिये किये जाते हैं कि हमारी सत्ता कैसे बनी रहे, सत्ता की कुर्सी पर हम कैसे बैठे रहें। इस बात पर बहुत कम विचार किया जाता है कि संविधान में ऐसे भी सशोधन किये जायें जिससे आम जनता को लाभ हो। इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : All Amendments are only for that purpose ?

SHRI HARIKESH BAHADUR : Most of the Amendment are only for retainging the power. I want that there should be an Amendment in order to provide certain relief to the common man in which the Government is not very much interested.

MR. DEPUTY-SPEAKAR : How the Parliament have voted also.

SHRI HARIKESH BAHADUR : We did not vote for all the Amendments. what can we do when there is a bulldozer type of majority with the Government ?

इसलिये अगर आप किसी अवसर पर कोई आवश्यकता समझें कि संविधान में सशोधन करके हम गरीबों को सस्ता और सही न्याय दिला सकते हैं तो उसके सम्बन्ध में भी आपको कदम उठाना चाहिये। कम से कम इस बात पर तो माननीय मंत्री जी को विचार करने में अधिक समय लेना हो नहीं चाहिये और जो इस विधेयक में हाईकोर्ट की बेंच बनाने की बात कही गई है, उसको तत्काल कार्यान्वित कर देना चाहिये। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो यह नहीं कहेंगे कि सरकार की तरफ से इसके सम्बन्ध में कोई और विधेयक लाया जायेगा, बल्कि यह कहेंगे कि इस विधेयक को हम स्वीकार करते हैं और अति शीघ्र इस विधेयक को मशा को कार्यान्वित करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में श्री हरीश रावत के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल अच्छी सभ्यता चली है कि पुण्य की आड़ में पाप किया जा सकता है और धर्म की आड़ में अधर्म किया जा सकता है और गरीबों के नाम पर धनवान लाभ उठा सकते हैं।

कहीं बेचारे गरीब आदमी को क्या हाई कोर्ट में जाने की जरूरत होती है ? आज हाई कोर्ट में गरीब कहां जाता है, वहां तो बड़े-बड़े वकीलों की लड़ाई होती है। इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने आपको फोड कर दिया कि वहां कही कि बेंच बनाया

जाये, एक मेरठ में मांग कर रहे हैं और दूसरे गोरखपुर में मांग कर रहे हैं।

गरीब तो सैशन कोर्ट और सिविल कोर्ट तक ही जाता है। हाई कोर्ट तो ला के मामले में देखता है हर बात को लेकर हाई कोर्ट में नहीं जाया जाता। क्या हर जगह हाई कोर्ट खोल देने से लोगों को फायदा हो जायेगा।

आप ला कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसने कहा है कि इस प्रकार से हाई कोर्ट नहीं खोलने चाहिये। अगर यह कोर्ट खोले गये तो न्याय तो गड़बड़ में गया हो। आपको इस पर सोचना चाहिये।

> "It is said that in the India of today, justice should be taken to the door of the litigant and, therefore, the litigant should not be compelled to go long distances to the High Courts.'

> "The presence of the litigant is not really necessary at the hearing of the appeal. He is not called upon either to give evidence or to help the court in any way by his presence."

माननीय सदस्य हाई कोर्ट की बेंच की मांग करते हुए गरीबों का नाम क्यों लेते हैं ? वे दौलतमंद वकील का नाम क्यों नहीं लेते हैं ? वकील ऐसा चाहते हैं और माननीय सदस्य यहाँ पर उसके लिए लड़ रहे हैं। इन वकीलों ने माननीय सदस्यों को लड़ा दिया है।

ला कमीशन ने इस बारे में कहा है :-

> "It is our opinion that the question whether the High Court should sit as a whole at one place or in Benches at different places has to be considered solely from the point of view of administration of justice—all political and sentimental considerations have as for as possible to be excluded. We are firmly of opinion that in order to maintain the highest standards of administration of justice and to preserve the character and quality of the work at present being done by the High Courts, it is essential that the High Court should function as a whole and only at one place in the State."

हमने अपनी स्टेट में देखा है कि जोधपुर और जयपुर की बेंचें अलग-अलग फैसले देता है। (व्यवधान) इस संकल्प को मव करने वाले माननीय सदस्य तो बाहर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी सीरियसनेस महसूस नहीं की, लेकिन ये दूसरे वकील खड़े हो गए हैं।

अगर हाई कोर्ट की बेंचिज जगह-जगह पर होंगी, तो लीगल लुमिनरीज, अच्छे वकील, हर जगह नहीं मिलेंगे। ये तो वकीलों के तरीके हैं। हाई कोर्ट में केसिज कौन लड़ता है ? नाम गरीबों का लिया जा रहा है, ताकि ला मिनिस्टर को यह बात अपील करे कि गरीबों की रक्षा के लिए अलग-अलग बेंचिज की मांग की जा रही है। गरीबों के लिए लीगल एड टु दि पुअर की योजना पहले ही लागू कर दी गई है। माननीय सदस्य अपनी स्टेट्स में कहें कि कोर्ट फीस माफ कर दी जाए। यह एक स्टेट सबजेक्ट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी, तो केन्द्रीय सरकार मना नहीं करेगी। अगर कोर्ट फीस न ली जाए, तो न्याय अपने आप सस्ता हो जायेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार कहा है कि स्टेट्स को कोर्ट फीस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट फीस नहीं होगी, तो स्टेट्स का खर्च भी नहीं चलेगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : स्टेट्स को काम्पेन्सेट करना चाहिए। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की सिन्सेरिटी का पता चलेगा।

श्री मूलचन्द डागा :

> "Two contradictory statments are made one statement is mede that court fees should be exempted. The other is that it should be compensated by the Central Govt."

माननीय सदस्य अगर सस्ता न्याय चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकारों से कहना चाहिए। हाई कोर्ट की एक जगह रखने का एक बहुत बड़ा परपज यह है कि अच्छे जजमेंट मिलेंगे। लीगल ल्यूमिनरील, जो बड़े-बड़े वकील हैं वह एक जगह रहेंगे, नहीं तो न्याय प्रणाली में और गिरावट आएगी। आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग ब्रांचेज कर दीजिए... (व्यवधान) यह खुला दरबार है, यहां कहने को मना कौन करेगा ?... (व्यवधान) खूब कहिए, जोरों से कहिए, कौन मना करता है। कहिए कि एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, एक नार्थ में, एक साउथ में एक ईस्ट में और एक वेस्ट में होनी चाहिए, बड़ा अच्छा है, कहिए और डंके की चोट पर कहिए। आपका अधिकार है कहने का। लेकिन हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक रहनी चाहिए और एक स्टेट में हाईकोर्ट एक रहनी चाहिए। उससे ज्यादा लाभ होता है। मैंने ला कमीशन की रिपोर्ट भी आपको बतायी। उन्होंने भी कहा है कि एक जगह कोर्ट रहने से फायदा होता है।

> "If the High Court works in Benches, it will be difficult, if not impossible, for the Chief Justice to have proper administrative control over the working of the Benches or the doings of his colleagues who will constitute the Benches"

> "The High Court Bar acquires a justifiable reputation by appearing before judges of the High Court, by arguing important cases and by helping the court to finally settle the law at the highest level."

मैंने इसमें अमेंडमेंट क्या दिया है ? मैंने यह अमेंडमेंट दिया है कि जनता की राय जान लीजिए। जनता से आप यह पूछिए। यह बहुत लम्बा चौड़ा प्रदेश है यू. पी. का। एक हिस्सा मेरठ में होगा, एक बरेली में होगा एक और कहीं होगा तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। हाई कोर्ट की बेंच जगह-जगह नहीं होनी चाहिए। यह अच्छा नहीं है।

मैं तो कहता हूं कि हाई कोर्ट्स जितने हैं उनमें जजेज की संख्या बढ़ा दीजिए। जजेज ज्यादा होने चाहिए। और जजेज़ का अप्वाइंटमेंट कीजिए, उनकी तनख्वाह में वृद्धि कीजिए ताकि वहां लोग जल्दी न्याय पा सकें। यह काम होना चाहिए। लेकिन जगह जगह हाई कोर्ट की बेंचेज खोलना चाहते हैं तो यू. पी. जैसे प्रदेश के अन्दर इसको सकुलेट कीजिए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए। जो आप गरीबों का नाम ले रहे हैं, गरीबों की आड़ में शिकार खेल रहे हैं, तो उन गरीबों से पूछ लीजिए। मेरा तो कहना है कि आप ऐसा केस बनाइए कि फैक्ट्स के ऊपर केसेज हाईकोर्ट में बिलकुल न जायं और भी छोटी-छोटी बातों के लिए हाई कोर्ट में केसेज नहीं जाने चाहिए। सेशन कोर्ट से

ही उनका फैसला ही जाना चाहिए। केवल ला प्वाइंटस पर ही केस हाई कोर्ट में जाना चाहिए। यह मेरी राय है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हरीश रावत जी का बिल है---बिल टु प्रोवाइड फार दि एस्टैब्लिशमेंट आफ ए परमानेंट बेंच आफ दि हाई कोर्ट ऐट एलाहाबाद, ऐट बरेली--उसका मैं समर्थन करता हूं। डागा जी को जानकारी प्राप्त करने में शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है। आपकी और सदन की जानकारी में लाने के लिए बताना चाहूंगा कि 25 वर्ष से निरन्तर यह मांग उत्तर प्रदेश में होती रही है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में उच्च न्यायालय के एक खण्ड पीठ की स्थापना हो। माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार ने प्रस्ताव पास किया और केन्द्र सरकार के समक्ष भेजा। लेकिन केन्द्र सरकार निर्णय देने में उस समय भी अक्षम रही। यही नहीं, माननीय नारायण दत्त तिवारी जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं उनकी सरकार ने भी एक सिफारिश की कि यह न्यायोचित है और इस संदर्भ में केन्द्र सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। बाबू राम नरेश यादव की सरकार में यह बात आई और जो हमारे तत्कालीन लामिनिस्टर थे केन्द्र में श्री शान्तिभूषण जी, उन्होंने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में राय मांगी। और राज्य सरकार की राय भी आई। जब बनारसी दास जी मुख्यमन्त्री बने तो उन्होंने भी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश भेजी थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमन्त्री थे तब—डागा जी जरा सुन लें—सम्पूर्ण विधान सभा ने एकमत होकर प्रस्ताव पास करके भेजा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की जाए।

इसकी स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है और क्यों होनी चाहिए—इस सम्बन्ध में मैं कुछ तर्क उपस्थित करना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि इधर के जो 20-21 जिले हैं इनकी आबादी भी बहुत है और यदि दूरी के हिसाब से देखें तो कहीं से भी इलाहाबाद तक की दूरी 500 किलोमीटर से कम नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आगरे से चलके 600 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद पहुंचता है तो वहां पर वह ऐसे आदमियों के हाथ में पड़ता है जिनकी उसे कोई जानकारी नहीं है, यहां के लोग ही उसको बताते हैं कि यहां के यह बड़े वकील हैं। एक तरफ तो आप सस्ते और सुलभ न्याय की बात करते हैं। पहले पंचायतों में ही बहुत से झगड़े तय कर लिए जाया करते थे।

एक बात और भी हैं। हम लोग रोजाना डकैतों की बात सुनते रहते हैं। उनके डकैत बनने के पीछे भी एक विशेष कारण होता है। उनको सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलता है। वे कोई बड़े आदमी होते नहीं हैं। अगर जमीन के झगड़े पर मर्डर हो गया या किसी बड़े आदमी ने उनको किसी केस में फंसा दिया तो इलाहाबाद तक पहुंच पाना उनके लिए सम्भव नहीं होता है क्योंकि बीस, तीस हजार वह खर्च कर नहीं सकते हैं इसलिए ऐसे लोग राइफल उठाकर अपने को बागी घोषित कर देते हैं। सरकार लाखों करोड़ो रुपया खर्च करती है लेकिन मलखान सिंह और पुतलीबाई जैसे रोज ही पैदा होते रहते हैं। यदि आप देखें तो इनमें से पहले कोई भी चोर नहीं था, जमीन पानी के झगड़ों ने ही इनको बागी बना दिया है। सेशन कोर्ट तक ये पहुंच सकते हैं लेकिन

(श्री राजेश कुमार सिंह)

हाईकोर्ट तक नही जा पातें, इसीलिए वे अपने आप निर्णय कर लेते हैं।

एक प्रश्न यह भी है कि न्याय का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साइज और आबादी को देखते हुए तो वहां पर न्याय का विकेन्द्रीयकरण और भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ की आबादी है जो कि दुनिया में सातवें मुल्क के नम्बर पर आ सकता है। आप राजस्थान की बात कर सकते हैं, वहां भी जोधपुर में हाईकोर्ट है और जयपुर में बेंच है डागा जी ने उल्टा कह दिया थी। उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ लखनऊ में है। (व्यवधान) हमारे यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 लाख 33 हजार से अधिक मुकदमे चल रहे हैं यह अप्रैल की फीगर्स हैं और अब अगस्त का महीना समाप्त होने वाला है। एक न्यायाधीश के पास प्रति 1300 मुकदमे आते हैं उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट में, लेकिन अन्य प्रदेशों में देखें तो 650 से अधिक मुकदमे उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के पास नहीं जाते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दुगुने मुकदमे एक न्यायाधीश के पास आते हैं। नतीजा यह होता है कि बरसों गुजर जाते है किसी केस का निर्णय नहीं हो पाता है। मेरे खयाल से इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में 62 हजार मुकदमे आगरा मण्डल के ही पेंडिंग पड़े होंगे। आगरा, अलीगढ़, ऐटा, मैनपुरी आप कहेंगे कि यह तो अपराधी क्षेत्र हू। ऐसे क्षेत्रों में अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है, तो वहां न्यायालय बनाने की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन सम्पन्न लोगों के लिए अदालत बनाने की बात सोची जा रही है। मैं जानता हूं। आज की स्थिति में न्याय गरीबलोगों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके पीछे इन्टरेस्ट किन लोगों का है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। इलाहाबाद में सम्पन्न वकील हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ लेकिन यह कहना जहां वकील उपलब्ध नहीं होंगे, वहां मुश्किल हो जाएगी, यह बात उचित नहीं है। वहां का 'बारे' जिसका केन्द्रीय राजनीति पर प्रभाव होता है, उनकी बात मानने के लिए केन्द्र मजबूर हो जाता है। वहां विधान सभा के सदस्य मांग करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की जाए, लेकिन इसके विरुद्ध "बार" में एक प्रस्ताव पास किया जाता है। जस्टिस चन्द्रशेखर ने अपने निर्णय में यह राय दी है कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। आपने कहा कि विधि आयोग की बात महत्वहीन ही होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर्वत पर रहने वाले लोग, जहां अपराध ज्यादा होते हैं, जहां मुश्किल से इन्सान रह पाता है, उन क्षेत्रों में न्याय कैसे प्राप्त होगा।

मान्यवर, खण्डपीठ की स्थापना करना कोई नई बात नहीं है। गोवा में बम्बई हाईकोर्ट की खण्डपीठ है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इन्दौर और जबलपुर की उच्च न्यायालय की खण्डपीठ है। इसी प्रकार राजस्थान में जयपुर में जोधपुर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ है। केरल दिल्ली

और हिमाचल प्रदेश के अपने उच्च न्यायालय हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लखनऊ में जब मुख्य न्यायालय था तो अवद्ध के लोगों को न्याय मिलता था, लेकिन जब वह उच्च न्यायालय के साथ आया तो खण्डपीठ की स्थापना की गई।

मैं आपको खण्डपीठ की स्थापना के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। गढ़वाल, मुरादाबाद डिवीजन में ऐसा स्थान जहां पर सारी सुविधायें उपलब्ध हों और वह स्थान मेरी दृष्टि में आगरा है, इसलिए आगरा में खण्डपीठ की स्थापना की जानी चाहिए। यह बात ठीक है कि आप आयोग की सिफारिशों पर विचार करेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि गढ़वाल, मुरादाबाद डिवीजन में वह स्थान जहां पर सब सुविधायें हों, सारे लोगों को सहूलियतें प्राप्त हों, ऐसी जगह पर खण्ड पीठ की स्थापना होनी चाहिए। मैं आप पर दबाव नहीं डालता हूं कि आप आगरे में खोले, क्योंकि मैं आगरे से आता हूं। आगरे की बात में वजन है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी वहां मुख्य न्यायालय था। यदि आगरा में हो जाय तो यह कोई नई बात नहीं होगी, इसलिये कि आगरा हर दृष्टि से उपयुक्त और सही स्थान है।

अब मैं कुछ शब्द आयोग के बारे में कहना चाहूंगा। जसवन्त सिंह आयोग को जुलाई, 1983 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। यह आयोग सभी क्षेत्रों का दौरा करके आया था और अखबारों में ऐसी चर्चा भी आई थी कि वह अपनी रिपोर्ट देने को तैयार है, लेकिन उसकी अवधि 6 महीने के लिये बढ़ा दी है। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे एक राजनीतिक मुद्दा था—कांग्रेस सरकार चाहती थी कि चुनावों के नजदीक ऐसी घोषणा हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये कुछ होने जा रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार यह चाहती है कि उस समय हम ऐसा आश्वासन दें कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना करने जा रहे। लेकिन लोग इस बात को जानते हैं कि चुनाव हो जाने के बाद मामला टल जायगा। 1977 और 1980 के इनके चुनाव घोषणा पत्रों को पढ़ लीजिये। मैं श्री मूलचन्द जी डागा से कहूंगा कि वह उन चुनाव घोषणा पत्रों को पढ़ें उनमें इस बात का उल्लेख है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की जायगी। मैं पुनः जोरदार शब्दों में इस बात को कहना चाहूंगा—आप एक बहुत बड़ी आबादी से, 21 जिलों के लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिये मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इस को चुनावी मुद्दा न बनायें। यह आज की मांग नहीं है बहुत पुरानी मांग है आप ने वक्त के साथ-अनेक संविधान-संशोधन किये हैं, हो सकता है उस वक्त इस की जरूरत न दिखाई दी हो, लेकिन आज इस की जरूरत है कि वहां खण्डपीठ की स्थापना की जाय।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में एक के बजाय यदि दो खण्डपीठों की स्थापना की जाय तो वह अनुचित नहीं होगा। क्योंकि जो आप का दृष्टिकोण है, जो आप का लक्ष्य है वह यह है कि सब लोगों की समानता के हिसाब से सही अवसर पर, सही समय पर, घर के नजदीक न्याय उपलब्ध हो। मैं ज्यादा कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाऊंगा। चैटर्जी साहब कानून के पंडित हैं और वे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच बनाये जाने के सम्बन्ध में

(श्री राजेश कुमार सिंह)

अपनी राय देने को उत्सुक हैं। मैं जानता हूं यह बिल जरूर गिरेगा, लेकिन मैं रावतजी के इस बिल का जोरदार शब्दों में समर्थन करते हुए कहूंगा कि आगरा में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खण्डपीठ की स्थापना की जाय।

××SHRI A. G. SUBBURAMAN (Madurai) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I extend mp wholehearted support to the bill of my hon.friend Shri Harish Rawat seeking the establishment of a bench of Allahabad High Court at Bareilly.

The Madras High Court is located at Madras which is in one corner of the State. The people from Kanyakumari will have to travel about 500 miles if they want to get justice. Besides, they have to incur heavy expenditure also. The objective of our Government is to give justice cheaply to the poor people at their door-step. If this is to be achieved, then it is very necessary to establish a hon or Madras High Court at Madurai. Many eminent jurists from southern districts practise at Madras. Recently Jaswant Commission visiteb Madurai, Tirunelvely, Kanyakumari, Kodaikanal, Tiruchirappalli and Coimbatore. In all these places they took evidence from the local peopie. Out of 5 crores of people of Tamil Nadu, nearly 2.5 crores of people live in the four southern districts. Their representatives, the local M.L. As and the M.Ps tendered their evidence before the Jaswant Singh Commission. I had the opportunity to appear before the Commission. I hope that the Commission would have assessed the imperative necessity of having a bench of Madras High Court at Madurai. The Government should ensure that Jaswant Commission submits its report, soon. Even then, without waiting for this Report, the Law Minister should order the establishment of a bench of Madras High Court at Madurai. Within one month this bench of Madras High Court should start functioning at Madurai. Justice delayed is justice denied. We are talking about free legal aid to the common people. This requires a lot of money. It will take a long time before the entire nation is covered by the free lega laid schemes. But, the Government can ensure expeditious disposal of cases in the High Court. The piling up to arrears of cases in the Courts should also be got reduced. All this can be achieved only when decentralisation of administration of justice takes place. The High Courts should have benches in other parts of the States. I would reiterate the necessity of setting up immediately a bench of Madras High Court at Madurai.

Sir, I need not tell you that legal practitioners and jurists from southern States are ocoupying a pre-eminent place in Supreme Court in New Delhi. I need not dilate on the distance to be traversed be the people from southern States. They have to spend a lot of time and a lot of money. They have to face extremes of climate. They have also to face the language problem here in Delhi. Again I have to say that justice is costly and justice is getting delayed for the common people of the country by having the Supreme Court in Delhi. I take this opportunity to demand that a bench of Supreme Court should be set up at Madras, which will ensure quick dispensatian of justice for the people of southern States. As our hon. Prime Minister personifies in herself the hopes and aspirations of the common people of the country and as our Government is committed to the common weal. I demand the early setting up of a bench of Madras High Court at Madurai and also a bench of Supreme Court at Madras. With these words I conclude my speech.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Bill relates to setting up of a Bench in Bareilly in the State of Uttar Pradesh. But I must thank my young friend because it gives an opportunity to discuss the principle behind the setting up of Benches.

Sir, in a vast country like ours, undoubtedly and unfortunately the majori-

×× The original speech was delivered in Tamil.

ty of the people are below the poverty line. It is not a question of mere chauvanism or regional consideration when a demand for Benches of Supreme Court or High Court is made. Sir, what brought to be the principle of deciding the seat of a High Court as also whether there should be more than one seat of High Court? There ought to be some principle. It cannot be just historical, it cannot be just geographical and it cannot be *ad hoc*. After 37 years of independence, although there are not so many laws which have been enacted during these nearly 4 decades of our independence to enlarge the rights of the common people, but even in regamits whatever rights are there which have not yet been taken away, the question of enforcement is important. When we call cheap justice it does not mean thd justice is cheap. It means, to get justice one does not have to spend money which he cannot afford. Now, what are the criteria that you can, at a modest expenditure, get the relief which you need? But the greatest difficulty is that you have to reach the pkce.

Sir, I have been as a Member of the Consultative Committee attached to the Ministry over which the right honourable friend from Chandigarh presides, raising this question as a matter of commitment, I believe in this, sincerely. It is very good to say that we have provided a nice building which is now proving inadequate, in Delhi for accommodating the Supreme Court, with nice gardens, lawns, statues and what not. There are lawers' chambers, viry nicely air-conditioned rooms, etc. But think of a person coming from Madras or from my State or from Kerala or even from Maharashtra, Madhya Pradesh, Assam, Nagaland, Tripura, etc.

That is not just a question of raising a discussion and trying to get credit. Can anybody doubt the difficulties they have to face ? The Rt. Hon. Member from Chandigarh may think of his rich clients when he was at the bar, but all litigants are nyt rich. Kindly think of a constituent of yours from Madras coming to Delhi, Where will he stay Apart from the railway expenditure, you cannot provide him unlimited accommodation in your place.

MR DEPUTY-SPEAKER : I will ask them to stay at my residence.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : But you cannot provide them unlimited space. The question is: where will they stay when they come to Delhi apart from the expenses of engaging lawyers, spending money for making the papers ready etc.? Does it require any speech, Prof. Ranga, to realise and appreciate the immense difficulties they are facing?

I have the privilege—and I consider it a privilege—to appear for workers, dismissed people, and persons belonging to the weaker sections of the society. They come to us; I am not trying to take credit, but on many occasions we have to arrange even for their railway fare, place for their stay etc. There are people amongst us, who share in all these things. But is this the way they havo to get justice, because accidentally they happen to know a particular lawyer or somebody who will give them a little assistance when they come to Delhi? Do not always think that they come to Delhi on their own to initiate litigation. On many occasions, they have to defend cases against them: they are dragged here. I do not know if the hon. Law Minister has got any statistics about how many awards of. tribunals or decisions of labour courts involving employees have been challenged and are pending in the Supreme Court. They are dragged have; if they won there, they are dragged to the Supreme Conrt. Article 136 is there; so many other procedures are there. It is not a question of stay or expenditure alone, it is a question of trying to do justice to those who need justice the most.

When we became independent, the States were created. What is the special chars in the boundaries of out States, I do not know; for the purpose of at least distribution of judicial work why can-n't we have workable boundaries of the High Coutrs? There is no question of

(Shri Somnath Chatterjee)

any problem or other considerations; I do not wish to bring them. We need not bring in the approach of the States Reorganisation Commission here? There is a State called Kerala, it has 14 districts. As against this, Uttar Pradesh has got as many as 58 districts. Whereas, Uttar Pradesh has got one seat of High Court and one Bench, Kerala has also got one seat of High Court. What is the basis? Is it on the population basis? Is it on area basis? How are you going to decide?

I request everybody concerned that a serious consideration has to be given to this. When we ask for a Circuit Bench of the Supreme Court, it is not our intention to dilute the importance of the Supreme Court; it is wrong. Law Commission's recommendations are there. Kindly see, whenever such a propesal comes, who opposes it first.

The lawyers practising in the court, oppose it, and unfortunately, judges oppose it. Wny? I am very sorry to say, for a very simple reason—lawyers have vested interest. Naturally, if another court comes, there will be division of work and another set of lawyers will come up in that Bench. Therefore, no lawyer will ask for diminution of the work in his High Court, where he is practising. This is nothing but vested interest and on the basis of vested interest, they always oppose it. You may remember Sir, there was a proposal, just a very tentative proposal by the Chief Justice of India. I know I will be very unpopular, howerer nothing is reported outside.

PROF. MADHU DANDAVATE : This is not only vested interest. It is compound interest.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : When there was a proposal by the Chief Justice of India that some of the very simple matters neednot be argued in the open court and they may be decided in ihe Judges' Chambers, there was a tremendous hue and cry and there was a tremendous objection. The Bar was going to pass a resolution condemning the decision that it amounts to taking away the rights of the litigants and of the lawyers. Well, to put it in a crude way, it is a qustion of pound, shiling and pence, because it will reshlt in lesser number of lawyery, appearance fees and so on and so forth. But Sir, I do not understand whe hon. judges oppose the shifting of courts. Wherever they go, they have to do their duty in as sincere manner and as honest manner, as possible. If a judge of Supreme Court goes to Calcutta or Bangalore and sits there, does he think that his position has been diluted. I do not know. He daesnot cease to be a Supreme Court judge.

Sir, you are giving beautiful bungalows here. Nobody wishes to go to Agartala and Tripura as Prof, Ranga said, there is no beautiful accommodation. It is only a three room bungalow in Agartala. I am sorry. I am not imputing motives. It is said that the Chief Justice will lose control over the judges. Are the judges unruly horses that the Chief Justice has to keep a tight rein ?

I have not found a single reason, which has appealed to me or which can override the considerations of the people, who are to go to the court for justice. Sit, a choice has to be made.

Are the courts for the litigants or are the litigants for the courts? This choice has to be made. A decision has to be made one day or the other. If the courts are for serving the litigants, then facilities are to he given to the litigants, you have to make the courts more easily accessible, atleast locationwise. There are many many inadequacies in our judicial system. There are no adequate laws and procedure is prone to cause delays, and lawyers are contributing substantially in delaying the disposal of cases. Efficient judges are not always there. There are laws which are beneficial but there are also many laws wnich curtail the rights. There is a greater and greater social tension. A handful of people in this

country who are enjoying economic benefits can always go to court. That is why the Finance Minister of India has estimated tha five thousand crores of his taxes are held up for reasons of court injunctions. The Finance Minister of my State is also crying that nearly 50 crores of rupees are held by injunctions. Now, you are unable to stop this litigation.

Unfortunately, thc inadequacy of the system s exploited by rich people, and the affluent sections of the society. A rich man goes there to stop or delay the payment of his taxes, and a poor man to save his job or to get a morsel of food. This is the difference in approach. So, for whom is the court? A Birla can engage 20 lawyers to appear in the Supreme Court, who can be brought from Calcutta or Bombay by plane. But a poor Person cannot bring a lawyer here.

I have chosen a profession; I am still in it. I have spent nearly three decades in this profession. This is a profession. Unfortunately, we are more professionals than lawyers. This is our difficulty. This is the great defect in the system, the defect which has cropped up. If a professional approach is always made, these matters will not be solved.

I request the Law Minister to consider the importance, seriousness and the justness of this demand. I know one obvious answer is: "Go to the Financo Minister, and get at least some money for me. Otherwise how can I do it? I have to increase the number of Judges, buidings ete." You are spending Rs.68 crores for your TV coverage, in one year, to project yourselves and your leader. Every day it is done. To-day is the 10lst or 102nd station. Ministers are going. Many nice TV pictures are coming. I do not know whether Prof. Ranga was invited to one of these events.

Therefore, you have to decide your priorities: that is what we are saying. You cannot provide drinikng water. But you give subsidies to the rich people.

श्री केयूर भूषण (राजपुर) : स्वस्थ मनोरंजन देना तो समाजवादी कार्यक्रम है, उसका आपको समर्थन करना चाहिए।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Your idea of manoranjan is a little different from mine. Your idea of it is to look at her Picture. Mine is not so.

प्रो. मधु दंडवते : स्वस्थ मनोरंजन के लिए मंत्रियों को कहिए कि यहां पर भाषण करें, टेलीविजन की क्या जरूरत है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Therefore, I support the Bill. Let Some Poor people of that area, where the court is required to be set up, i. e. where the Bench is required to be set up, get the benefit. In West Bengal we have been saying this: in North Bengal there is a demand for a Bench. We want that at least for the eastern India, there should be a Bench of the Supreme Court. It should be sector-wise: eastern, southern, central and western. It will not disintegrate the judicial system. On the other hand, people's faith in the udicial system will be greater, because they know that many people who cannot come th Delhi to seek justice or go to the place of the present High Court, will be able to go to such places. It will generate greater faith in the judicial system. It will involve the poor people, and make them realize their rights more, because they will be able to assert and exercise their rights. So, on principle this Bill has to bg supported. I support this bill. I do hope that the hon. Member from Chandigarh, continues to represent Chandigarh, and if he can represent Chandigarh in the cabinet if he is there, I would expect him to give very sorious and sincere thought to his matter, so that this important public demand can be met.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरीश रावत ने जो विधेयक इस सदन में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। पहले हमारे

श्री वृद्धि चन्द जैन)

राजस्थान में जोधपुर में हाई कोर्ट था, लेकिन बाद में जयपुर की जनता और वहां के प्रतिनिधि के द्वारा मांग करने पर, वहां एक बैंच स्थापित कर दी गई। जोधपुर की जनता और हम सब ने इस बात को सपोर्ट किया कि हाई कोर्ट जोधपुर में ही रहना चाहिए और उसकी बैंच जयपुर में न स्थापित की जाए। परन्तु परिस्थितियों-वश हमें झुकना पड़ा और जतपुर में बैंच कायम हो गई।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश तो पहले ही देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रान्त है, जहां लगभग 11-12 करोड़ जनसंख्या रहती है, जब कि हमारे राजस्थान प्रान्त की जनसंख्या केवल साढ़े तीन करोड़ ही है. यदि हमारे यहां जयपुर में हाई कोर्ट की एक बैंच स्थापित हो सकती है तो यू पी जैसे विशाल प्रान्त अवश्य होनी चाहिए। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आवश्यकता को देखते हुए यदि दो या तीन बैंच स्थापित करने की आवश्यकता हो, तो वह भी स्थापित की जानी चाहिए

अभी हमारे डागा साहब कह रहे थे कि इस बिल के विषय में जनता की राय मांगी जाए। हमारे राजस्थान में भी पहले जनता की राय ली गई थी और उसी बात के आधार पर ही जयपुर में बैंच की गई। हर स्थान पर जनता तो यही चाहती है कि उसको सुविधा मिले और वह नजदीक पहुंच कर न्याय प्राप्त कर सके। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में 1982 में जसवन्त सिंह जी की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया है और उसमें वे ही केवल मात्र सदस्य हैं। मैं चाहता हूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रस्तुत होनी चाहिए। हमारे राजस्थान में भी इसी तरह विलम्ब हुआ था, जिसके कारण सरकार को जोधपुर, जयपुर, अलवर और उदयपुर की जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि आयोग की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रस्तुत हो और ऐसे मामलों का फैसला शीघ्र किया जाए।

मैं यह भी समझता हूं कि जब हमने सिद्धांत रूप में मान लिया है कि हर स्थान पर हाई कोर्ट की बैंच स्थापित की जाए तो फिर हमें आयोग की रिकमैन्डेशन में जाने की जरूरत नही है। गोआ का उदाहरण हमारे सामने है, महाराष्ट्र में बम्बई में हाई कोर्ट है और उसके बाद नागपुर में स्थापना की बात मान ली गई है। जब हमारी सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस सिद्धांत को मान लिया है कि हाई कोर्टस की बैंच स्थापित की जाए तो फिर हमारे सामने प्रश्न केवल यही रह जाता है कि उनकी स्थापना किस स्थान पर हो बरेली, मेरठ, आगरा, गोरखपुर आदि किस जगह बैंच बने, सिर्फ यही देखने की चीज है। उसके लिए हमारे सामने यह दृष्टिकोण रहना चाहिए कि कहां ज्यादा सुविधा मिल सकती है और अधिक जनता किस स्थान पर बैंच की स्थापना चाहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले लिया जाना चाहिए। साथ ही जसवन्त सिंह कमीशन को भी सरकार की तरफ से डायरैक्शन जानी चाहिए कि वह अपना टर्म एक्टैंड न करने, जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि जनता संतुष्ट हो सके।

अब प्रश्न तह उठता है कि जनता को सस्ता न्याय कैसे मिले? यह बात सत्य है कि गरीब व्यक्ति हाई कोर्ट में नहीं जा

सकता। कोई भी किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट की शरण में नहीं जा सकता। वह स्थिति हमारे देश में अभी तक नहीं आई है। इन हाई कोर्टस तक केवल मध्यम श्रेणी का व्यक्ति ही पहुंच सकता है अथवा जो रईस हो, वह पहुंच सकता है। किसी गरीब आदमी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 39 (ए) में गरीब आदमी के लिये फ्री लीगल एण्ड का प्रावधान भी किया है। मगर कोई गरीब आदमी फ्री लीगल एड के लिए कोशिश भी करे तो उसको मिलती नहीं है। आर्टिकल 39(ए) 1977 में जोड़ा गया था :

> "The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities"

लीगल एड के बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में काम करना शुरू किया है, परन्तु प्रगति बहुत धीमी है। अभी गरीब आदमी को फ्री लीगल एड का लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। गरीब आदमी रिट पेटीशन करना चाहता है तो इसके लिए कोई भी वकील फ्री लीगल एड के लिए तैयार नहीं होता है और 5,000 या 2,000 रु० अपनी फीस मांगता है। इसलिये यह जरूरी है कि फ्री लीगल एड का लाभ गरीब आदमी को जरूर देना चाहिए। हां, सरकार पहले जाँच कर ले कि वह इस लीगल एड का अधिकारी है कि नहीं। यदि सरकार संतुष्ट हो जाय कि वह गरीब आदमी है तो उस गरीब आदमी के सिविल राइट्स की रक्षा करने के लिये हाई कोर्ट में पेरवी करने के लिये सरकार को मदद करनी चाहिए। क्रिमिनल्स के लिये तो केस फाइट करने के लिये प्रावधान है, परन्तु सिविल राइट्स के लिये नहीं है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट की बेंच प्रान्त में जगह-जगह स्थापित होनी चाहिये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होने से राष्ट्रीय एकता कायम करने में यह सहायक है। दूसरे अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज के डिफरेंट जजमेंट्स हो गये तो वह फाइनल जजमेंट होगा और उससे कनफ्लिक्ट पैदा हो जायगा। इसलिये सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज स्थापित करने के पक्ष में नहीं हूं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वही लोग आते हैं जिनके पास पैसा है और केन्द्र सरकार या प्रान्तीय सरकार जब मदद करें अधिकारों के बारे में वही आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यदि किसी के मूलभूत अधिकारों पर आघात होता है तो उसकी रक्षा होनी चाहिये और तभी हो सकता है जब हम उन व्यक्तियों को, वह कितना भी गरीब क्यों न हो, उनकी मदद करें। इस प्रकार अन्याय का मुकाबला कर सकेंगे। उसे भी मान होगा कि हमारे अधिकार का हनन किया गया है, मुझ पर अन्याय हुआ है परन्तु हमारी राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार ने मदद की है।

कम्युनिस्ट कंट्रीज में इस प्रकार की स्थिति है कि आज वहां गरीब आदमी के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अधिकार पर यदि कोई हनन किया जाता है तो वह स्टेस उसे फाइट करती है, उनके सिविल राइट्स को फाइट करती है। अगर यह स्थिति आज हम स्थापित नहीं कर सकते हैं तो कम-से-कम उनको लीगल एड तो दी जानी चाहिये।

यदि स्टेट गवर्नमेंट का केस हो तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का केस हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अधिकारों के लिये एड दे और इस तरह से उनको पूरी तरह सहयोग देना चाहिये।

हमने पंचायत के स्तर पर न्याय का प्रयास किया है। वहां मुन्सिफ कोर्ट्स के मुकाबले न्याय पंचायतों ने अच्छे और न्यायप्रद फैसले दिये हैं। अगर आज वास्तव में गरीब को न्याय दिलाना है तो न्याय-कोर्ट स्थापित किये जाने चाहियें। इस प्रकार का कानून सेन्ट्रल गवर्नमेंट में बनायें जो कि सारे देश में लागू हो और न्याय पंचायत का कमिशन हो और वह न्याय कर सकें। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता के प्रतिनिधियों पर विश्वास करना चाहिये और पंचायतों पर विश्वास करना चाहिये। अगर पंचायत में न्याय सही नहीं दिया जाता है तो वह लोग पंच मुकर्रर नहीं किये जा सकते हैं, उनको जनता उखाड़ देती है। मेरा दृढ़ मत है कि हाई कोर्ट के बेंचेज स्थापित किये जाने चाहियें और इसके लिये जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिये।

इस दृष्टिकोण से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्किट बैंचों की संख्या, खंड पीठों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये, मैं इस विचार को उचित मानता हूँ, और इस दृष्टिकोण से श्री रावत ने जो विधेयक रखा है जिसके अनुसार वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ बरेली में स्थापित कराना चाहते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

यह ठीक ही कहा गया है नजदीक-नजदीक खंड पीठ होने से आम लोगों को, जो या तो मुकदमें में फंसा दिये जाते हैं या स्वयं मुकदमें में फंस जाते हैं, उनको आने-जाने में सहूलियत होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि हर जिले में खंडपीठ बन जाये। बीच-बीच में इस तरह से खंडपीठ बननी चाहिये कि हमारे देश में अधिकांश लोग गरीब हैं, उनको जितनी भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके कराई जानी चाहिये। इनमें एक सुविधा खंड-पीठ की स्थापना करना भी है। उत्तर प्रदेश 12 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा राज्य बिहार है, जिनकी जनसंख्या 8 करोड़ है। बिहार में एक ही खंड-पीठ रांची में है। वहां पर यह खंड-पीठ बना कर उचित ही किया गया है, क्योंकि उस इलाके में ज्यादातर आदिवासियों की आबादी है। लेकिन उत्तर बिहार में कोई खंड-पीठ नहीं है। अगर उत्तर बिहार के लोग अपनी सहूलियत के लिए खंड-पीठ की मांग करते हैं, तो कोई अनुचित नहीं है। वह खंड-पीठ मुजफ्फरपुर या किसी दूसरे जिले में हो सकता है।

प्रो. सत्यदेव सिंह (छपरा) : छपरा में।

श्री रामावतार शास्त्री : छपरा म खंड-पीठ बहुत अलग-थलग पड़ जाएगा। वहां नहीं हो सकता। किसी केन्द्रीय स्थान में होना चाहिए।

उत्तर बिहार की आबादी बहुत अधिक है और हाई कोर्ट पटना में तथा खंड-पीठ रांची में है। खंड-पीठ के नजदीक होनेकी दृष्टि से मैं इस विचार का समर्थन क ता हूं।

गरीबों को न्याय मिलने में बहुत बिलम्ब होता है। वे इतने साधन-संपन्न नहीं होते कि वे अच्छे वकील कर सकें। मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट फीस और वकील की फीस देना उनकी शक्ति के बाहर होता है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने बल पर हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ सकें। इसलिए उनकी मदद के लिए कोई कारगर तरीका अपनाना चाहिए। कहा जाता है कि गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए जगह-जगह कमेटियां बनी हुई हैं। लेकिन इस बात का जायजा लेना चाहिए कि वे कमेटियां गरीबों को कितनी मदद कर पाती है। वास्तव में वे अभी तक ज्यादातर कागज पर ही हैं। इस तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि गरीबों को ठीक से न्याय मिल सके और उनके दिल में यह मलाल न रहे कि हमने अच्छा वकील नहीं किया। राज्य का यह काम होना चाहिए कि वह उनको अच्छे वकील दे और मुकदमे में खर्च होने वाली तमाम राशि दे। तभी गरीबों की मदद की जा सकती है।

मंत्री महोदय बिहार में अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि वह उसे सूबे के राज्यपाल रहे हैं। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज भी जजों की कमी है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री श्री (जगन्नाथ कौशल) : आपके हाई कोर्ट में कोई कमी नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं जनरल बात कह रहा हूं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं माननीय सदस्य को बता रहा हूँ कि पटना में जजों की तादाद मुकम्मल हो गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : 21 अगस्त, 1984 को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि देश के उच्च न्यायालयों में 1977 में 351 जज थे, जो कि 1984 में 423 हो गए हैं। लेकिन मैं उनको पर्याप्त नहीं मानता। उनकी संख्या में और वृद्धि होनी चाहिए: भले ही पटना उच्च न्यायालय में कोई जगह खाली न न हो, लेकिन उसके जजों की वृद्धि तो की जा सकती है। जजो को संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि मुकदमें लम्बित न रहें।

सरकार के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में एक साल से कम वाले मुकदमों की संख्या 18,885, एक साल से दो साल तक के मुकदमे 9,647, दो साल से तीन साल तक के मुकदमे 5,941, तीन साल से चार साल तक के मुकदमे 5,713, चार साल से पांच साल तक वाले मुकदमे 3,922, पांच साल मे छः साल वाले मुकदमे 3,052, छः साल से सात साल वाले मुकदमे 1,801, सात साल से आठ साल वाले मुकद्मे 1400, आठ साल से नौ साल वाले मुकदमे 685, नौ साल से दस साल वाले

(श्री रामावतार शास्त्री)

मुकदमे 537 और दस साल से ज्यादा वाले मुकदमे 1,999 यानी दो हजार के लगभग है तो यह स्थिति इसीलिए है कि जजों की कमी है। अगर जज अधिक और पर्याप्त संख्या में रहें तो जाहिर बात है कि यह मुकदमे लम्बित रहेंगे। कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरा निवेदन है कि इनकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। जहां भी कमी हो, या जहां पर जगहें खाली पड़ी हों उनकी भर्ती वहां की जानी चाहिए।

आखीरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जज कैसे होने चाहिए? मैं तो वकील नहीं हूं सोमनाथ चटर्जी की तरह या आप लोगों में से बहुतों की तरह लेकिन एक एक ले-मैन की हैसियत से कहता हूं कि जजों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होना चाहिए क्योंकि हम समाज में आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं तो जो इन विचारधाराओं में आस्था रखने वाले लोग हैं उन्हीं को जज बनाया जाना चाहिए। जो समाज की गतिविधियों को ठीक से समझ सकें और समाज को किधर हमें ले जाना है उसको समझ सकें उस तरह के विचार वाले जज को इस उत्तरदायी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि समय की पहचान उन्हें रहे। वरना, आज तो बहुत से दकियानूसी विचार वाले और पुरानी परम्पराओं, पुरानी व्यवस्थाओं से चिपके रहने वाले जज हैं। उनका ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ-साथ उनको निर्भीक तो होना ही चाहिए, पक्षपात-रहित भी होना चाहिए। आजकल इन दिनों इन बातों की कमी होती जा रही है। हाईकोर्ट और लेवरकोर्ट में भ्रष्टाचार भी प्रवेश हो रहा है। इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। पैरवी पर जजमेंट हो रहे हैं। गुण के आधार पर फैसले न होकर पैरवी के आधार पर हो रहे हैं। मुझे इसका खुद अनुभव है। तो यह बात नहीं होनी चाहिए। जज को बड़ा निष्पक्ष होना चाहिए। प्रगतिशील तो होना ही चाहिए लेकिन निष्पक्ष जरूर होना चाहिए। सरकार का पक्षधर नहीं होना चाहिए, उनको आम लोगों का, गरीबों का पक्षधर होना चाहिए।

प्रो. सत्यदेव सिंह : सरकार ही आम लोगों की ही तब ?

श्री रामावतार शास्त्री : सरकार आम लोगों की है या नहीं यह तो विवाद का विषय है। छोड़िए इस बात को। तीन चार दिनों में कैसे-कैसे बिल पास किए हैं यह आप जानते हैं।

मैं यह कह रहा था कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न्याय पहुंच सके। झोपड़ियों तक न्याय अभी पहुंचा नहीं है। हमें झोपड़ियों तक न्याय भी ले जाना है, राहत भी ले जानी है और हर तरह की सुविधाएं भी ले जानी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं रावत जी के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट एलाहाबाद (एस्टैब्लिशमेंट आफ ए परमानेंट बेंच ऐट बरेली) बिल, 1984 का मैं समर्थन करता हूं। यह जो हाई कोर्ट की बेंच के सम्बन्ध में रावत जी ने बिल रखा है वह निश्चित तौर से स्वागत योग्य कदम है क्योंकि एक हाई कोर्ट या एक बेंच होने से इतने बड़े

एरिया को हाई कोर्ट कवर नहीं कर सकता और वहां के लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। इस प्रकार की असुविधाएं लोगों को होती हैं।

जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा गया, राजस्थान में भी इस तरह का झगड़ा था। पहले जोधपुर में एक हाई कोर्ट था। उस के बाद में जयपुर के लोगों ने एजीटेट किया कि हमारे यहां पर भी एक बेंच होनी चाहिए।

17.00 hrs.

और वह एजिटेशन कम से कम दस साल तक चला, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि पूर्वी क्षेत्र के लिए बेंच स्थापित की जाए जिससे कि वहां के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। यह एक अच्छा स्वागतयोग्य निर्णय था। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है। 22 स्टेट्स को मिलाकर राजस्थान बना है। पहले 22 स्टेट्स में अलग-अलग हाई कोर्ट्स स्थापित थीं। राजस्थान एक लम्बा-चौड़ा प्रदेश है। आबादी हालांकि यू. पी. से कम है लेकिन क्षेत्रफल में यू. पी. से दुगुना होगा। अभी राजस्थान में एक हाईकोर्ट और एक उसकी बेंच है। इसीलिए मांग उठ रही है कि अन्य स्थानों पर जहां पहले हाई कोर्ट स्थापित थीं, जहां पर लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल जाता है उसे देखते हुए दूसरे क्षेत्र में भी बेंच की स्थापना की जाए। आज हर किसी को या तो जोधपुर जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है। वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें खर्चा भी बहुत होता है और न्याय भी समय पर नहीं मिलता है। अभी शास्त्री जी ने बताया है कि पटना हाई कोर्ट में कितने केसेज पेंडिंग हैं। उसी प्रकार से राजस्थान की हाई कोर्ट में भी हजारों की तादाद में केसेज पेंडिंग हैं। दस-दस साल से केसेज के फैसले नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जजेज की कमी है। आपने बताया है कि जजेज की पूर्ति आपने कर दी है लेकिन राजस्थान में अभी पूर्ति नहीं हो पाई है, और पूर्ति होने के बाद भी जो वहां पर जजेज की संख्या है वह बहुत कम है। इसलिए और ज्यादा जजेज बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि वर्षों से पेंडिंग केसेज के फैसले हो सके और लोगों को न्याय प्राप्त हो सके।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में बहुत अर्से से एक बेंच की मांग की जा रही है जिसके सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि उदयपुर में भी एक बेंच की स्थापना की जाए। उस क्षेत्र के बहुत सारे केसेज जोधपुर में पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं। यदि वहां पर भी आप बेंच स्थापित कर देते हैं तो वहां के लोगों को न्याय मिल सकेगा।

इसी के साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इस देश के 70 करोड़ लोगों के लिए केवल एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। वहां भी पूरे जजेज नहीं रहते हैं। वहां पर भी तमाम वर्षों से पता नही कितने केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के सम्बन्ध में भी कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि पेंडिंग केसेज का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। मेरा सुझाव है कि भारतवर्ष के हर रीजन में—उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में—सुप्रीमकोर्ट की एक एक बेंच स्थापित कर दें।

MR. DEPUTY SPEAKER : One of the Benches of the Supreme Court is in Rajasthan.

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान के लिए तो मैंने हाईकोर्ट की बैंच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की बैंचेज रीजनवाइज अलग-अलग पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को हजारों मील का सफर तय कर के दिल्ली न आना पड़े और न्याय मिलने में देरी भी न हो। अंग्रेजी में कहावत है कि डिले डिफीट्स जस्टिस। इसलिये मेरा निवेदन है आप इस तरह की व्यवस्था करें और जजेज भी ज्यादा संख्या में नियुक्ति करें। यदि आप रीजनवाइज सुप्रीमकोर्ट की बेचेंज कायम कर दें तो जनता को न्याय ठीक प्रकार से उपलब्ध हो सकेगा।

अभी श्री वृद्धिचन्द्र जी ने ठीक कहा कि इससे नेशनल इंटिग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो वे लोग नाराज होते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। न्याय जल्दी मिलेगा तो नेशनल इंटिग्रेशन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। एक बात यह भी कही गई कि सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग बेंच स्थापित करने से अलग-अलग कन्फिक्टिंग जजमेंट कोर्ट कर देंगी, इससे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पर फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा किये गये निर्णय से एक नजीर कायम हो जाती है। इसके लिए यदि आप यह व्यवस्था करेंगे कि एक प्रकार के केसेज का निर्णय एक प्रकार से करना है तो निश्चित तरीके से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कन्फिलिक्टिग जंजमेंट का प्रश्न भी पैदा होगा। इसलिए इसके लिए आपको निश्चित तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए।

नियुक्तियों के सम्बन्ध में शास्त्री जी ने ठीक कहा है। माननीय लॉ मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी का राज आया तो उसने हमारे यहां पर राजस्थान में सारे आर. एस. एस. के लोगों को जज बना दिया। इस प्रकार के लोग अगर जज बन जाते हैं तो···

प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या अभी भी हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : अभी भी हैं। ऐसे लोग जब जज बन जाते हैं तो निश्चित तरीके से अच्छी तरह से न्याय नहीं मिल सकता है।

प्रो. मधु दंडवते : व्यास जी आर. एस. एस. का मतलब है—रेलवे सिक्योरिटी सर्विस।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नहीं, इसका मतलब है—राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ऐसे लोग जब जज बन जाते हैं, तो उनका दृष्टिकोण एक ही तरह का होगा और देश में जो डेमोक्रेसी कायम करने की बात है, वह पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय ऐसे जजेज की नियुक्ति होनी चाहिए जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निर्णय लें और प्रोग्रेसिव विचारधारा उन लोगों की हो और एक अच्छी व्यवस्था कायम हो सके।

मंत्री जी आप द्वारा लिए गए निर्णय कि चीफ जस्टिस को एक जगह से दूसरी जगह तवदील किया जाएगा, यह निर्णय स्वागत योग्य है। मेरे कहने का मतलब है कि एक आदमी दस साल यदि एक स्थान पर रहेगा तो उसका वैस्टेड इन्टरैस्ट कायम हो जाता है। इसलिए आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ इसमें थोड़ी एडिशन होनी चाहिए कि जजेज को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाना चाहिए। यदि एक जज भी एक स्थान पर बीस साल तक

काम करेगा तो उसका वेस्टेड इन्टेरेस्ट कायम हो जाता है। ऐसे लोग न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जजेज को ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए चाहे आप उनकी तनख्वाह चार या पांच हजार देते हैं, दो हजार और बढ़ा दीजिए, उनको फैसलिटी दीजिए, मगर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबदील किया जाना चाहिए।

सस्ते न्याय के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह ठीक है कि आपने सुविधा प्रदान की है, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपकी तरफ से जो फ्रीलीगल ऐड की सुविधा है, वह टटपूंजियां वकील हैं, उसको दस-बीस रुपया की सरकार से मुश्किल से मिलता है, तो केस को वह कैसे निकाल सकता है। वहां पर कम से कम ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए कि अच्छी फीस दी जाए, तो वह पैरवी अच्छी करेगा और लोगों को न्याय मिल सकेगा। यदि आप गरीब आदमी की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको उनको पूरा पैसा देना चाहिए। यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था करने से निश्चित तरीके से अच्छी व्यवस्था बैठ जाएगी।

बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आते हैं, जहां गरीब और अन्य लोगों से सुओमोटो जुरिसडिक्शन ले लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो पार्टी स्प्रीट से जुरिसडिक्शन ले लेते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं तो न्याय की दृष्टि से लेते हैं। न्याय की दृष्टि से लें तो इसमें कोई खराबी नहीं हैं, लेकिन यदि पार्टीजन स्प्रिट से, पोलिटीकल वेस्टेड इन्टररेस्ट से सुओमोटो कोई एक्सेप्ट कर लें और उस पर रिटपेटीशन की तरह से विचार करें, यह उचित नहीं है। इस लिये इसके बारे में कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि किस तरह के केसेज को सुओमोटो ले सकते हैं और इस सम्बन्ध में आपको कोई रूल्ज-रेगुलेशन्ज बनाने चाहिये, जिससे इन लोगों के पास ऐसा अधिकार न हो कि जिस को फेवर करना चाहे उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लें और दूसरी तरफ चाहे कितनी ही ही सही बात हो, उसकी सुनवाई न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ला मिनिस्टर साहब इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करेंगे।

MR. DEPUTY SPEAKAR : Hon. Members, two hours were allotted for this Bill. Now, there are about 6 more Members who want to speak. I it the sense of the House to extend the time by one hour ?

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : In that case, the other Bill would not have a chance. Why do you want many more arguments. ? The other Bill is also more less on the same subject. In the next Bill also, same sort of speech can be made.

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, Mr. Rathor Bill is related to the backward area. Therefore, let us be brief so that be will get a chance to take up his Bill. otherwise, it will go to the Eighthen Lok Sabha.

MR. DEPUTY SPEAKAR : So, I am extanding the time to htlf-an hour up to 5.45 p.m. Actually, the mover is not here. I will give 5 minutes to each speaker.

Shri Ram Vilas Paswan.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही छोटा सा बिल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव बिल है। इसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो जस्टिस की बुनियाद है, हालांकि इन्होंने तो उत्तर प्रदेश के लिये कहा है, लेकिन चूंकि न्याय का मामला है, इसलिये यह समस्या पूरे देश की है। इस बिल पर जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, सबने अपने अपने प्रान्त की बात इसमें रखी है, लेकिन न्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह यह है कि या तो मुफ्त न्याय दें, यदि यह सम्भव न हो तो सस्ता न्याय दें। जो न्याय मिले वह जल्दबाजी में मिले...

प्रो. मधु दण्डवते : जल्दबाजी नहीं, जल्दी मिले।

श्री रामविलास पासवान : जल्दी मिले, जस्टिस डिले नहीं होना चाहिये, डिले होने से जस्टिस डिनाइड हो जाती है। दुर्भाग्य से भारत ही एक ऐसा देश है, आप इसकी तुलना बार्डर की स्टेट्स से कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसा डवेलप्ड देश नहीं मिलेगा जहां मुफत न्याय तो नहीं, लेकिन सस्ता न्याय और जल्दी न्याय न मिलता हो। लेकिन यहां पर दोनों चीजें नहीं हैं।

22-2-1984 के प्रश्न और 21-3-1984 के प्रश्न के जवाब में, जैसा व्यास जी अभी बतला रहे थे, मंत्री महोदय ने कहा था कि हमने जजेज के स्थान पूरे कर लिये हैं...

विधि मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैंने पटना के बारे में कहा था और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था, अन्य जगहों के लिये नहीं कहा था।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक तो 75 जजेज के स्थान रिक्त हैं।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : लेटेस्ट इन्फार्मेशन यह है कि जजेज के खाली स्थान 41 रह गये हैं।

श्री राम विलास पासवान : इतनी मेहनत करने के बावजूद और कौशल साहब के बार बार आश्वासन देने के बावजूद अभी भी 41 जगहें खाली हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। 18 हाई कोर्ट हैं और अगर एक हाई कोर्ट में दो दो और तीन तीन स्थान भी खाली रहें, तो 40, 42 ऐसे ही हो जाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : मेरी समझ में तो 41 एक्सट्रा जजेज होने चाहिए। आज हाई कोर्टों में कितने केसेज पेन्डिग हैं और यह सरकार का जबाब है। 21.2.84 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1,73,586 केसेज पेन्डिग थे, आन्ध्र प्रदेश में 60,901 पेन्डिग थे केसेज पेन्डिग थे, बम्बई में 83,331 केसेज कलकत्ता में 1,03,427 केसेज पेन्डिग थे, दिल्ली में 46,709 केसेज पेन्डिग थे और पटना में 49,347 केसेज पेन्डिग थे और इस तरह से कुल केसेज 9,76,781 पेन्डिग थे और पटना में जो ये केसेज पेन्डिग थे, वे मेन केसेज हैं। (व्यवधान) तो मैं यह कह रहा हूं कि एक तरफ जजों के स्थान खाली हैं और दूसरी तरफ इतने सारे केसेज पेन्डिग हैं। नतीजा यह हो रहा है कि जस्टिस में डिले हो रही है और डिले भी इतनी हो रही है कि एक एक कैदी 38,38 साल के बाद जेल से छूटता है। उस

का असली मुकदमा उस के खिलाफ होगा, तो मुश्किल से पांच साल की सजा होगी लेकिन वह जेल में बचपन से बुढ़ापा गंवा देता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आवश्यकता इस बात की है कि जितनी जल्दी जितने अधिक हाई कोर्टों की ब्रान्चेज आप खोल सकें, सुप्रीम कोर्ट की ब्रान्चेज खोल सकें,

सुप्रीम की एडीशनल ब्रान्च खोलने से देश में कहीं इनटेसरिटी या डिसइन्टेगारिटी का मामला नहीं आता है। यह जस्टिस का मामला है। देश में यदि एकात्मता रहती है, तो पालीटीकल बिल के ऊपर रहेगी। देश में यदि एकता रहेगी, तो उस को बांधने के लिए कांस्टीट्यूशन है। जस्टिस सस्ता मिले, न्याय सस्ता मिले, इस के लिए आप देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ब्रान्चेज खोलिये। इस से देश के टूटने का कोई खतरा नहीं होता है। आप केन्द्रीकरण में विश्वास मत कीजिए बल्कि आप डीसेन्ट्रलाइजेशन में विश्वास कीजिए। हाई कोर्ट की ब्रान्चेज ज्यादा खोलिये, सुप्रीम कोर्ट की ब्रान्चेज खोलिये और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट को लोगों के पास न्याय देने के लिए जाना चाहिए न कि लोगों को कोर्ट के पास न्याय के लिए दौड़ना चाहिए। माननीय सदस्य श्री रावत जी ने जो इस बिल को मूव किया है' उन्होंने कहा है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि न्याय पाने के लिए हम दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। एक बात तो मैं यह कहना चाहता था।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे साथियों ने जजेज के ट्रान्सफर के बारे में कहा। मेरी नजर में भी जजेज का ट्रान्सफर होना चाहिए क्योंकि जब एक जज एक स्थान पर बहुत समय के लिए बैठ जाता है, तो जातिवाद, भाई-भतीजावाद और प्रोविंसवाद करना शुरू कर देता है। इसलिए निश्चित रूप से जजों का ट्रांस्फर होना चाहिए लेकिन इमरजेंसी के समान ट्रान्सफर नहीं होना चाहिए कि किसी ने विरोध किया तो, उसको के दूर जगह पर फैंक दिया। ट्रान्सफर हो, तो उस के लिए आप ऐसी आथेरिटी बनाइए जो निष्पक्ष रहे और जो पालिटिक्स से दूर रहे और वह जजेज का ट्रान्सफर करे। मेरी समझ में जजेज का ट्रान्सफर निश्चित रूप से होना चाहिए। शास्त्री जी ने जो कहा है, मैं उस की ताईद करता हूं कि कुछ जजेज का दिमाग फ्यूडल रहता है। वे जिस घराने से आते हैं, वे गरीबों के दुःख तकलीफ को नहीं समझ पाते हैं। 'जिस के पांव न फटे बिवई, वह क्या जाने पीर पराई।' वह उन के दुःखों को समझ नहीं पाता है। उस का लेबिल हमेशा ऊंचा रहता है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण जजेज को अपनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे जज है, जिनका व्यवहारिक दृष्टिकोण है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि 36 साल की आजादी के बावजूद मुझे दुःख है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उन को न्याय नहीं मिल पाता है। कोर्ट में उन को न्याय नहीं मिलता है और उन के अपने जज भी कोर्ट में नही हैं।

इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अधिक संख्या में शेड्युल्ड कास्ट्रस और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लोग मौजूद हैं इसलिए अधिक से अधिक संख्या में शेड्युल्ड कास्ट्रस के लोगों को, शेड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों को और वीकर सैक्शंस के लोगों को न्यायाधीशों के पदों पर रखा जाए जिससे कि शेड्युल्ड कास्टस और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों को भी सही न्यायमिल सके।

(श्री रामविलास पासवान)

अन्त में मैं यह कहूंगा कि आप विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाइये। महात्मा गांधी ने कहा था कि विकेन्द्रीकरण में विश्वास करो लेकिन श्रीमती गांधी कहती हैं कि सेन्ट्रलाइजेशन में विश्वास करो। आप पुराने गांधी की बात को याद रखिये और विकेन्द्रीकरण कीजिए।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह जो प्रस्ताव है, यह सही मायनों में जितने भी हमारे पिछड़े क्षेत्र है, आदिवासी और हरिजन क्षेत्र हैं उनकी भावनाएं इसमें प्रकट की गई हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूं।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि पासवान जी ने भी कहा है, मैं उसे अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी को सही, सस्ता और समयबद्ध न्याय मिले। जहां न्याय सही हो, वहां वह सस्ता भी हो और इसके साथ-साथ वह समयबद्ध भी हो। समयबद्ध न्याय और सस्ता न्याय समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। सस्ता और समयबद्ध न्याय समाज को तभी उपलब्ध हो सकता है जबकि उसे अधिक से अधिक समाज के नजदीक लाया जाए। हमें न्यायालयों को समाज के नजदीक लाना होगा। आजकल न्यायलय कितनी दूर स्थित है और न्याय पाने के लिए उन तक जाने में समय लगता है, साधन लगते है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पीढ़ियां बदल जाती हैं और न्याय नहीं मिल पाता।

17.22 hrs

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*

न्याय मिलने तक पीढ़ियां बदल जाती हैं। आज ऐसी स्थिति न्याय के क्षेत्र में है। इस स्थिति को हमें बदलना होगा। इसके लिए उचित यही होगा कि हम इस क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण करें।

मैं अपने क्षेत्र रायपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में है। हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों के बीच में एक बड़ा शहर रायपुर है। लेकिन न्याय की दृष्टि से हमें काफी दूर जाना पड़ता है। हमारे यहां भी हरिजन और आदिवासियों का बाहुल्य होने के नाते क्षेत्र में हाई कोर्ट की बैंच की मांग हो रही है। लेकिन जैसा कि बताया गया है, बड़े बड़े न्यायाधीश इस क्षेत्र को विकेन्द्रित करने में रुचि नहीं रखते। हालांकि हमको अपनी न्याय प्रणाली पर बड़ा गर्व है परन्तु न्याय को पाने में कितना समय और साधन लगते हैं उससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप विकेन्द्रित करें। मेरे क्षेत्र में आज यह रूप है कि वहां लोग कभी-कभी जन-आन्दोलन की बात करते हैं हमको चाहिए कि जन समस्याओं पर हमें जन आन्दोलनों को उभरने का मौका नहीं देना चाहिए। जन समस्याओं के प्रति हमें स्वयं आगे आकर उन्हें सुलझाना चाहिए। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को नजदीक में ही न्याय मिल सके।

अब मैं अपनी पुरानी न्याय प्रणाली के विषय में कहना चाहता हूं। हमारे जो जमीन और पूंजी के मामले है उनको अलग कर दिया जाए। उनके अलावा जो सामा-

जिक मामले है, उन्हें हमारे हरिजन और आदिवासी भाई शतप्रतिशत अपनी पंचायतों के माध्यम से सुलझाते है। पंचायतों से उन्हें अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी न्याय मिलता है। वे अपने सामाजिक फैसले पंचायतों में करते है। पंचायतों में हरेक को बोलने का अधिकार होता है। वे अपनी अपनी चीजों को पंचायत के सामने रखते है। इसका जबर्दस्त लाभ होता है। अगर कोई गलत बात कहता है तो दूसरे लोग समझ-बूझ कर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं।

तो इस आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत को भी न्यायालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर कोई मामला पंचायत में हल नहीं हो पाता तो विकासखण्डों में न्याय पंचायत में उस मामले को ले जाया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश में कुछ दिनों तक यही प्रणाली लागू रही और लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों को न्याय करने का अधिकार दें। इससे न्याय जगत में एक क्रांतिकारी कदम आप उठा सकेंगे।

इसी तरह से आज लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए अदालतों में जाना होता है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि अदालतें वहीं पहुंचे। खुले रूप में चर्चा हो उस आधार पर वहां पर न्याय दिया जाए। ऐसा न्याय ज्यादा कारगर एवं उपयोगी होगा। पूरी न्याय प्रणाली को इस आधार पर बदलिए, जिससे न्याय सस्ता, समय-बद्ध और ज्यादा लागत उस पर न आए। इस सारी प्रक्रिया को आपको बदलना होगा। अन्यथा एक ही कहावत याद आती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में कहावत है-

एह नोहे कचहरी, साहेब मन बैठे
बैठे खेलत हैं गरी।

इसका अर्थ हैं कि कचहरी का मतलब होता है बाल काटने वाली। तो आदिवासी लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे सिर का मुंडन होता है, उसी तरह से कचहरी में भी लोगों का मुंडन किया जाता है। और वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी तुलना उनसे की गई है जैसे तालाब के किनारे बैठकर के मछली पकड़ने के लिए गल डाला जाता है।

इसलिए अगर जनता को सही मायने में लाभ पहुंचना है तो जो पूर्व प्रचलित प्रणाली थी, उसी तरीके से सारी व्यवस्था गावों में चलानी होगी। तभी गांवों में न्याय सुलभ हो सकता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़)। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो विधेयक पेश किया गया है, वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की जनता की जो बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच वहां खुलनी चाहिए, उसके सम्बन्ध में है। उसके स्थानों के बारे में विभिन्न राय है। बरेली में हो, मेरठ में हो, मुरादाबाद में हो, आगरे में हो लेकिन इस क्षेत्र में होनी चाहिए। हरीश रावत जी ने इसको पेश किया है। जिस जिले से ये आते है, उनके जिले से किसी आदमी को इलाहाबाद जाना हो तो 750 किलोमीटर से ज्यादा सफर उसको तय करना होता है। इसके बाद वो इलाहाबाद पहुंचता है। यही स्थिति सभी पिछड़े जिलों की है। मैं समझता हूं कि इसकी ब्रांच

(श्री चन्द्रजीत यादव)

उत्तर में किसी जिले में खुलनी चाहिए। सिद्धांत रूप में शासक दल ने भी उसको स्वीकार किया है और मैं आपको याद दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा था कि जीतने के बाद ब्रांच खोलेंगे। लेकिन 4 साल हो गए। घोषणा पत्र के वादे को दूसरे वादों की तरह पूरा नहीं किया गया है। इससे लोगों के मन में क्षोभ है। आम जनता चाहती हैं लेकिन वहां के वकीलों का विरोध है। वहां के जजेज नहीं चाहते। स्थिति यह है कि इलाहाबाद में भी जगह कम पड़ रही है। तो नए कमरे वहां पर भी बनाने होगें। नया स्टाफ भी देना होगा इस पर भी खर्चा आयेगा। इसलिए खर्चे का तो सवाल नहीं है। इलाहाबाद में इस वक्त 60 जजेज हैं। इसलिए कोई विशेष खर्चा आपको नहीं करना है लेकिन आम जनता को काफी सुविधा हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की आबादी 50 लाख की है। 6 महीने हाईकोर्ट श्री नगर में और 6 महीने जम्मू में लगता है। इस बीच एक बेंच भी बराबर काम करती है। उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ आबादी है। इतना बड़ा प्रदेश है। वहां पर एक ही हाईकोर्ट है। लखनऊ में ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण अवध के लोगों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार नए सिरे से विचार करें कि लोगों को सही और ठीक से न्याय मिल जाए। दूसरा, जल्दी मिले और तीसरा सुविधाजनक तरीके से मिले ताकि उनका शोषण न हो। इन्साफ पाने के यही प्रिंसिपल्स हैं। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लॉ मिनिस्टर साहब ने खुद महसूस किया कि दस लाख से ज्यादा केसेज पेन्डिग हैं। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। प्रोसीजर चेंज कीजिए, डिवीजन बांटिए और ज्यादा न्यायालय खोलिए। दस लाख से ज्यादा केसेज पेन्डिग हैं और आप यह स्वीकार करते हैं कि इन्साफ का जो बहुत बड़ा उसूल है, वह वहां परास्त हो जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर एक बार फिर से न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका का संगठन कैसे हो, इस पर विचार करके कुछ निर्णय लेंगे।

×× SHRI S. T. K. JAKKAYAN (Periakulam) : Mr. Chairman, Sir, on behalf of my party the All India Anna Dravida Munetra Kazhagam, I support wholeheartedly the bill of my hon. friend Shri Harish Rawat. which seeks the establishment of a bench or Allahabar High Court at Bareilly. The laudable objective of this Bill is universal. This is timely also for' the Government to ensure that justice is rendered to the common people of the country by taking the temples of justice to their doorstepes. This can be achieved without much of a trouble. For example; the Supreme Court is located in on corner of the country. No doubt it is established in the capital of the nation. But, is justice within the reach of the common people of the country ? From different parts of the country they have to converge here in Delhi for getting redressal in the highest court of law in the country. You can imagine the expenditure, the time factor ahd other problems like language, climate, accommodation, etc. in the capital, which the poor people, will have to face. As had been suggested by my predecessor, if the benches of Supreme Court

×× The original speach was delivered in Tamil.

can be set up in four regions of the country, it will be easy for the people to get justice expeditiously and early. Both the Centre and the State Governments are committed to the objective of ensuring justice cheaply and speedily. I take this opportunity to demand that a bench of the Supreme Court should be set up at Madras, which is a central place for all the four southern States. The people will feel that justice is not delayed to them. If justice is not denied.

Similarly, out of 5 crores of Tamil Nadu, 2.5 crores of people are living in four southern districts of Tamil Nadu. The Govrnment of Tamil Nadu has recommended times without number the establishment of a bench of Madras High Court at Madurai. Recently, the Jaswant Singh Commission isited many places in Tamil Nadu to assess the possibilities of setting up the bench of Madras High Court at Madurai, I had the opportunity of appearing before the Jaswant Singh Commission, as a Member of Parliament from Madurai district. I have stressed the imperative necessity of setting up a bench of Madras High Court at Madurai. From Kanyakumari, one has to travel about 500 kilometres to file his case in Madras High Court. In the environment of spiralling inflation, yov can imagine the plight of common who seek justice, which has also become very costly- As had been suggested by the member who preceded me, the Government should try to formulate a scheme for entrusting Panchayats also with the functions of a lower court, so that the poor people can get justice at their doorsteps. We may talk about the establishment of mobile courts also. All this will take a long time. As a preliminary step, I suggest that a bench of Madras High Court should be set up at Madural and the bench of Supreme Court should be set up at Madras. With these few words, I conclude my speech.

PROF SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : I support the Bill wholeheartedly. Mr. Rawat who is not here wants a Bench of the High Court at Bareilly. I support it.

UP is the largest State in India. It is by itself a country. 12 crore or more people are living in UP. They must receive justice. I suppose justice has already been denied to a great chunk of population in UP.

When I think of UP, I feel that we have told a big ×× so far. We have been telling ×× and Dr Ambedkar had cautioned us long before. . . .

MR CHAIRMAN : That word is unparliamentary. It will not go on record.

PROF SAIFUDDIN SOZ : It is not that the Constitution is wrong. It is that we have gone vile. We have certainly become vile because we have become disloyal to the Constitution of India.

You have been telling that you would be forging ahead towards the establishment of a socialistic pattern of society. That you have not done. That you are not going to do. For whom is the Supreme Court meant? It is for the people who can afford to go to the Supreme Court. Even the High Court is not meant for the people - the poor downtrodden people. I will not bring in ecomomic issues. I will not talk about the povertyline because the people who are below the povertyline can never think of anything beyond their belly. It is a great hoax that you have High in court' and the Supreme Court because in this drama of delay, Government, by itselfhis is the greatesr culprit because what e ver delay takes place, it is with the definite design of the Government. I do not say the present Law Minister responsible or it. I do not say the present Law Minister or his predessors are responsible for this. I feel that Government contributes to the delay in the disposal of cases. Now, there are

×× Expunged as ordered by the chair.

(Prof. Saif-ud-din Soz.)

three or four things which I must mention so that the hon. Law Minister reacts. Government has never thought of the fees. The fees are very high. They never think of the poverty of the people. When they fix fees they never think whether the people of India can pay them. I do not talk of the charges that are exported by the lawyers. I will come to that later.

MR. CHAIRMAN There is no time. Please conclude.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Give me two or three minutes. Let me now come directaly to the charges. I am told that for each appearance in the court each topmost lawyer charges Rs 50,000.

AN HON. MEMBER : There is only one /Shri Ram Jethmalani.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : There is Shri Ashok Sen also. Then there is a question of vacancies. My hon.friend Shri Paswan mentined that 10 lakh cases are pending before tha High Courts and Supreme Court. But, is it not because you have 132 vacanecies even now which you have not filled up ? I do not know what the Law Minister has got to say. But, My information is that there are 132 Vacancies which are to be filled up. If we want justice to be given to the people, then, there should be many Benches not only in U.P. but everywhere else.

As far as J&K State Concerned, I would request that the institute one Bench of the Supreme Court. It may not be in Srinagar but it can be in Jammu so that Himachal Predesh and and other adjoining areas can benefit I will tell you why this is more important because Jammu and Kashmir state suffers from difficult terrain. Even air services are not sure. In the diffirent terrain and in the rainy season, air trouble of is diffirent is read Delhi.

Added to this is the air high-Jacking which we have not yet controlled.

MR. CHAIRMAN : Don't extend this. There is no time.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Yoy See what happened on the 30th July.

MR. CHAIRMAN : you want to highjack the supreme Court!

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : I tell you that the Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court delivered a Judgment on 30th at 3-30 PM. On 31st at 10 AM the Assembly was to Meet.

(Interruptions)

He delivered the judgment at that time because the aggrieved party should not be able to go to the Supreme Court. the attriened Party could not supreme Court. *(Interruptions)*
it is for this reason that I ask for a Bench of the Supreme Court.

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL) : Sir, the Bill which is before the House is confined only to one matter is that there should be a bench of the High Court at Bareily. All friends know that for the purpose of deciding as to whether there should be all ench in the western districts of U.P. the Jaswant Singh Commission was appointed and we were expecting that the Commission's report will come soon.

But somehow the repor did not come as soon as we expected. Time had to be extended. And when that report was

ready so much pressure came to us from other states, in fact, the pressure is from the states, bar associations, public men from all over the country that we thought instead of appointing commission over and ovr again why not ask this commission which has gone round the country to at least advice us regarding those States who have come forward for benches in their States. We also thought that the Commission should also advise us as to what are the principles and guidelines on which to determine as to where the benches should be set up.

With that end in view now the commission will advise us on three Matters. On is regarding the U.P. matter. The other is on all aspects of the general question of the having benches of High Courts at places other than their principal seats and on the broad principles and criteria to be followed in this regard and in particular on the demands for the establisment of permanent benches of the High Courts of Gauhati, Karnataka, Madhya Pradesh and Madras. Now, these four questions have been referred to that commission and the general question if also before the commission. The term of the commission is going to exprie by the end of December and it is expected that the commission will submit its report before that date.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): मैं जानना चाहता हूं जावन्त सिंह आयोग की स्थापना जो की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की खण्ड पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में थी। जब उसकी रिपोर्ट हुई तो सरकार को डिले करने की क्या जरूरत है? रिपोर्ट सदन के सामने आ जानी चाहिए थी।

श्री जगन्नाथ कौशल: मैंने अभी अर्ज किया हमने इसलिए कमीशन की टर्न बढ़ाई है। आपकी तसल्ली मेरे जबाव से नहीं हुई तो मेरा दुर्भाग्य है।

PROF. N G RANGA (Gunter): Sir, there was a representation made by Andhra Lawyers for a bench at Guntur and that representation was place before his predecessor, Shri Shiv Shankar. What has happened to that?

SHRI JAGAN KATH KAUSHAL: Professor Ranga, I have just submitted that the questions which have been referred to that commission are from those States where the States have come farward. Your States government has not come forward with that demand.

(*Interruptions*)

Sir, we have asked them to lay down the general principles and guidelines ... (*Interruptions*)Sir, so far as this matter is concerned it will be rather futile on our part now to think of establishing a temporary bench or a permanent bench before the report is submitted. Regarding location may I say how difficult the question is? Even the mover of of the Bill says:

मेरठ, बरेली, आगरा, शाहजहांपुर या रामपुर में कहीं भी बैंच खोल दी जाये। यह तो कोई तरीका नहीं है बैंचेज खोलने का। एक माननीय सदस्य ने कहा कि गोरखपुर में खोल दी जाये।

यह बात तो काफी सोच-समझकर फैसला करने वाली है।

जहां तक जनरल बातें कही गई हैं, उनके मुताल्लिक में सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट में अभी भी कुछ वैकेन्सीज बाकी हैं। मैंने खुद ही कहा था कि अभी 40, 41 वैकेन्सीज बाकी हैं। कोशिश मेरी यह है कि इस साल के खात्मे से पहले-पहले मैं इनको भी फिल कर दूं ताकि कोई वैकेन्सी न रहे।

दूसरी बात यह है कि जजेज की स्ट्रेन्थ बढ़ाने के हमने नार्म्स-ले-डाउन किये

(श्री जगन्नाथ कौशल)

हुए हैं। जब कोई हाई कोर्ट सपोर्टेड बाई स्टेट, हमको यह कहती है कि इन नार्म्स के मुताबिक हमको जजेज की स्ट्रेन्थ मिलनी चाहिये तो ग्रामतौर पर हम जजेज की स्ट्रेन्थ बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि जजेज की स्ट्रेन्थ बढ़ चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट के जजेज की जितनी स्ट्रेन्थ पार्लियामेंट के ला मुताबिक थी वह पूरी हो चुकी है, वहां अब कोई वैकेन्सी नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जैसा कि उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा था, एक फंक्शन में कहा था कि उन्हें 25 जजेज चाहिये, तो उसकी कोई रिकमैंडेशन तो हमारे पास आई नहीं है, जब आयेगी तो उसको हम सिम्पैथेटिकली कंसीडर करेंगे।

हम भी मानते हैं कि अगर जजेज की स्ट्रेन्थ बढ़ने से केसेज कम हो जायें तो हमें उसमें कोइ ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि खाली इतना करने से भी केसेज कम नहीं होंगे, उसके लिये और बहुत सी बातें करनी पड़ेंगी। उसके लिये अभी-अभी हमने 2, 3 कदम उठाये हैं। पार्लियामेंट ने हमारी मदद की है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। सबसे बड़ा कदम है कि इससे हाई कोर्ट्स का कम-से-कम 40 परसेंट काम ट्रिब्यूनल्स के पास चला जायेगा।

अभी हमने एक फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश की है। मेरी अपनी राय है कि अभी एक गोल्ड कन्ट्रोल और कस्टम का ट्रिब्यूनल बनायें। हायर जुडिशियरी से जब तक कोई काम निकाल नही लिया जायेगा तब तक उसका काम कम नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 226 को बहुत लिबरली एन्टरप्रेट कर दिया गया है। पहले बहुत एक्स्टरा रेमेडी के लिये लोग वहां पहुंचते थे अब तो बहुत लोग 226 को लेकर वहां पहुंच जाते हैं।

बाकी आफटकोटेड बातें हैं जिनसे हर आदमी को इत्तिफाक है कि जस्टिस जल्दी मिलना चाहिये, चीप मिलना चाहिये, लेकिन यह इतना कम्पलैक्स क्वेश्चन है कि इस पर ला कमीशन आफटर ला-कमीशन, सैमिनार और समय-समय पर डिबेट होती रही हैं।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस बिल को तो उनको वापिस लेना चाहिये क्योंकि इनका मामला कमीशन के रोबरू पैंडिग है, उनकी रिपोर्ट आने पर डिसाइड होगा।

SHRI M. SATYANARAYANA RAO (Karimnagar): I would like to know from the hon. Minister when the vacancies of High Court Judges in Andhra Pradesh will be filled.

श्री जगन्नाथ कौशल : जल्दी फिल कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जिन सदस्यों ने इस बिल के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय जाहिर की है, श्री मूलचन्द डागा ने इसके विरोध में राय जाहिर की है, मैं सभी सदस्यों को जिनमें डागा साहब भी शामिल हैं, अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा।

मंत्री जी के विषय में मेरी राय थी कि मंत्री जी किसी बात को टालते नहीं हैं, बल्कि मुस्करा कर हां कह देते हैं, मगर

आज इस मामले को जिस खूबसूरती से उन्होंने टाला है, उसके लिये मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सारी बात कमीशन पर डाल दी ।

मेरी जो शिकायत है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बेंच की स्थापना चाहते हैं वह कमीशन का टर्म बढ़ाने की तरफ है। हम चाहते हैं कि कमीशन से रिपोर्ट ले ली जाती, कम-से-कम इंटेरिम रिपोर्ट लेकर एक सर्किट न्यायालय की स्थापना कर दी जाती, जिससे वहां के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति हो सकती। मगर मन्त्री महोदय ने इस विषय में कोई बात नहीं कही और उन्होंने कमीशन पर इस बात को टाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कमीशन का टर्म आगे न बढ़ाने के विषय में मन्त्री महोदय विचार करेंगे और कमीशन को कहेंगे कि इस वर्ष दिसम्बर में उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले वह अन्तिम रूप से रिपोर्ट दे दे, ताकि जिन राज्यों के मामलों को उसे रेफर किया गया है, वहां की जनता को एहसास हो सके कि निकट भविष्य में वहां हाई कोर्ट की खंड-पीठ की स्थापना होने जा रही है।

इन शब्दों के साथ, मन्त्री महोदय ने जो भावना जाहिर की है, उसके अनुरूप और जिस प्रकार उन्होंने इस मामले को टाला है, उसके विरोध में मैं अपने विधेयक को वापस लेता हूं ।

MR CHAIRMAN : I shall now put the amendment moved by Shri Daga to the vote of the House.

Amendment was put and negatived.

MR CHAIRMAN : The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Allahabad at Bareilly."

The motion was adopted.

SHRI HARISH RAWAT : I withdraw the Bill.

HIGH COURT OF BOMBAY (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT AURANGABAD BILL.

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : Mr Chairman, I beg to move :

"That the Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Bombay at Aurangabad, be taken into consideration."

Sir, in 1980, I had introduced a Bill to establish a permanent Bench of the High Court of Bombay at Aurangabad. You are aware that since the States Reorganisation Commission, the people of Marathwada were agitated. They were expecting a Permanent Bench at Aurangabad. After the Introduction of this Bill, under the SRC Act, Section 51 (3), we were given a temporary Bench. We were still pressing for a permanent Bench. Earlier also, Shri V M Gadgil in Rajya Sabha, and Shri Bapu Kaldate and Shri Mahalgi in Lok Sabha had introduced Bills to this effect I would like to know from the hon. Minister what action he has taken in this regard.

Further, Sir, the vacancies of judges in the Bombay High Court should also be filled up.

MR CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Bombay at Aurangabad, be taken into consideration."